



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, जोनल कैंपस, भुवनेश्वर
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
प्लॉट नंबर -35, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751007

National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics,
Zonal Campus, Bhubaneswar
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
Plot Number-35, Satyanagar, Bhubaneswar - 751007

दूरभाष क्र. /Tel. No.: 0674-2570713

ई-मेल/ E-mail: nacinbbsr.od@gov.in

Date: as e-signed

परीक्षा सूचना

विषय: वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप निरीक्षक की पुष्टि परीक्षा ।

[संदर्भ: विभागीय परीक्षा (केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स) नियम, 2024]

- वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप-निरीक्षक ग्रेड के अधिकारियों की पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा 24.09.2025 से 26.09.2025 तक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (मुख्यालय), ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आयोजित की जाएगी ।
- उक्त परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र और कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

पेपर	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	तिथि	समय
पेपर-I: नशीले पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून (पुस्तकों के साथ)	100	50	24.09.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
पेपर-II: मादक पदार्थ नियंत्रण नीति और प्रक्रियाएं (पुस्तकें मद संख्या 3 के लिए अनुमत होंगी)	100	50	24.09.2025	14.00 to 17.00 Hrs.
पेपर-III: प्रशासन (पुस्तक के साथ, आचरण नियमों को छोड़कर)	100	50	25.09.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
पेपर -IV: हिंदी	100	50	25.09.2025	14.00 to 17.00 Hrs.
पेपर -V कंप्यूटर अनुप्रयोग और इंटरनेट का उपयोग (सिद्धांत और व्यावहारिक)	100	50	26.09.2025	10.00 to 13.00 Hrs.

नोट: विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए, वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी द्वारा दिनांक **18.12.2024** के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विभागीय परीक्षा नियम, **2024** का संदर्भ लिया जा सकता है (पृष्ठ- 86-89). यह भी इसके साथ संलग्न है।

3. प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में होगा (पेपर -IV: हिंदी को छोड़कर)। अभ्यर्थियों को उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखने का विकल्प होगा।
4. उपायुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर ने अपने पत्र संख्या II(12)7/स्था./विभाग-परीक्षा/उप-निरीक्षक/2025-1562 दिनांक 08.07.2025 द्वारा श्री मनोज कुमार, सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल मुरार ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)-474006 को नामित किया है, जो उक्त परीक्षा के संचालन हेतु समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। श्री मनोज कुमार, सहायक नारकोटिक्स आयुक्त का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है।
5. प्रश्नपत्रों का अनुरोध सहायक निदेशक (परीक्षा), NACIN, भुवनेश्वर में 04.09.2025 तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। उक्त परीक्षा का प्रश्नपत्र, पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ प्रारूप में, 22.09.2025 को ई-मेल के माध्यम से नामित प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड 23.09.2025 को शाम 5 बजे के बाद प्राधिकृत अधिकारी के व्यक्तिगत ई-मेल आईडी पर प्रदान किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हो। प्रश्नपत्रों का अनुरोध ई-मेल आईडी:sarbeswarn.g4s9401@gov.in पर भेजा जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि इसके बाद प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवश्यकता की जानकारी देते समय, जिस पद के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, उसका नाम और उम्मीदवार का रोल नंबर स्पष्ट रूप से बताया जाए। उम्मीदवारों के रोल नंबर, उनके द्वारा परीक्षा देने के इच्छुक "स्टेशन का नाम" और "पद" के पहले लगाए जाने वाले क्रम में दिए जा सकते हैं। उदाहरण:GWALIOR/SI/01 । रोल नंबर देने के किसी अन्य प्रारूप का उपयोग न करें। उत्तर पुस्तिकाएँ और उपस्थिति पत्रक, आवंटित रोल नंबरों के अनुसार क्रमानुसार, सीलबंद लिफाफे में, परीक्षा के तुरंत बाद NACIN, भुवनेश्वर को भेज दिए जाने चाहिए।
7. आरक्षण नीति, उत्तीर्णांक, परीक्षा में बैठने की पात्रता और परिणामों की घोषणा आदि से संबंधित प्रश्नों को NACIN को न भेजें, क्योंकि ये निर्णय संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण/क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के अधीन हैं। इस संबंध में किसी भी संदर्भ पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. प्रतिनियुक्ति/ऋण आधार पर कार्यरत अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, उन्हें उनके मूल कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) द्वारा नामित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर परीक्षा देने का प्रतिनिधित्व किया है तो ऐसे नामांकन को कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के साथ भेजा जा सकता है।
9. परीक्षा नोटिस सीबीआईसी और एनएसीआईएन वेबसाइटों अर्थात क्रमशः www.cbic.gov.in और www.nacin.gov.in पर भी पोस्ट किया जा रहा है।
10. संबंधित सीसीए को परीक्षा में प्राप्त अंकों के बारे में केवल ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
11. यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है या प्रयोग करने दिया गया है या किसी के साथ कोई पक्षपात या अन्याय हुआ है, तो NACIN, भुवनेश्वर, NACIN, पलासमुद्रम के परामर्श से पूरी परीक्षा या किसी अभ्यर्थी या किसी केंद्र या केंद्रों के समूह की परीक्षा रद्द

करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केंद्रों के प्राधिकृत अधिकारी या निरीक्षक को भी अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में NACIN, भुवनेश्वर की स्वीकृति से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी या पूरे केंद्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है

12. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को मुद्रित रूप में या उत्तर पुस्तिका के सामने वाले भाग पर रबर स्टाम्प का उपयोग करके सील द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि उनके नाम/पहचान को प्रकट करने का कोई भी प्रयास और परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का किसी भी प्रकार से प्रयोग या ऐसा कोई भी व्यवहार जिसे निरीक्षक/पर्यवेक्षक/एनएसीआईएन द्वारा धोखाधड़ी माना जा सकता है, उनकी परीक्षा को अमान्य घोषित कर देगा।
13. परीक्षा हेतु अनुदेश इस परीक्षा सूचना के साथ संलग्न है तथा इसका अभिन्न अंग है।
14. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय संरचनाओं में प्रसारित करें क्योंकि NACIN, भुवनेश्वर इस संबंध में किसी भी व्यक्तिगत कार्यालय/अधिकारी से अलग से संवाद नहीं करेगा।
15. यह अपर महानिदेशक, NACIN, भुवनेश्वर के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एस. पी. पांडा)

अपर निदेशक

NACIN, भुवनेश्वर

Copy to:

7. नारकोटिक आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर को सूचनार्थ, संप्रेषण, प्रासंगिक विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. कृपया अपर महानिदेशक (परीक्षा), NACIN, पलसमुद्रम को सूचनार्थ, संचलन, संबंधित विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. प्रबंधक वेबसाइट, सिस्टम महानिदेशालय, नई दिल्ली को सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।।

वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप निरीक्षक की पुष्टि परीक्षा
अनुबंध - A
(प्रश्न पत्रों के नामांकन एवं प्राप्ति हेतु प्रपत्र)

1. आयुक्तालय/निदेशालय का नाम : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
2. कैडर नियंत्रण क्षेत्र का नाम : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
3. परीक्षा केंद्र का नाम : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो,
ग्वालियर
4. गठन की आधिकारिक ईमेल आईडी (सीसीए) : supdt-estt@cbn.nic.in
(विभागीय परीक्षाओं अर्थात् अभ्यर्थियों के अंकों से संबंधित कोई भी पत्राचार इस ईमेल आईडी पर/से भेजा जाएगा)
5. नामित प्राधिकृत अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक के अधिकारी) का विवरण, जो परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा और जिसे पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न पत्र ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।
 - (i) नाम : मनोज कुमार
 - (ii) पदनाम : सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
 - (iii) आधिकारिक पता : केंद्रीय नारकोटिक्स
ब्यूरो, 19, द मॉल, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश:
474006
 - (iv) सरकारी ईमेल आईडी : manojk.g039202@gov.in
 - (v) दूरभाष संख्या : 0751-2368996
 - (vi) व्हाट्सएप मोबाइल नंबर : 9827559251